रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233329
CG-DL-E-11022022-233329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 106(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109, 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा-निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, नियम 125 के उप-नियम (1) और (1-क) में अंक, अक्षर और शब्द "आईएस: 15140-2003" और "आईएस: 15139-2002", जहां भी वे हैं, के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "आईएस: 15140--2018" और "आईएस: 15139-2002 (पुन:पुष्टि 2018)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 125 के उप-नियम (1-क) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुकों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि, 01 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों के विनिर्देश, समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस:15140:2018 के अनुरूप होंगे।

बशर्ते यह भी कि 01 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सभी फ्रंट फेसिंग सीटों पर थ्री पॉइंट बेल्ट लगाए जाएं।

बशर्ते कि 01 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सेफ्टी बेल्ट, रेस्ट्रेंट सिस्टम और सेफ्टी बेल्ट रिमाइंडर, समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 16694: 2018 के अनुरूप लगे होंगे।"

4. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 125 के, उप-नियम (9) और (10) में अंक, अक्षर और शब्द "एआईएस-145-2017" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "एआईएस-145 -2018" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह पश्चात् केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 125ज के उप-नियम (2) और उप नियम (3) में शब्दों एवं अंकों, समय-समय पर यथा-संशोधित,"एआईएस-140:2016 के स्थान पर, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है" शब्द और आंकड़े "समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस: 16833-2018" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/15/2022-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक..... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 106(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by sections 109, 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. Short title and commencement. – (1). These rules may be called as the Central Motor Vehicles (…… Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125, in sub rules (1) and (1-A) for the figures, letters and words “IS: 15140-2003” and “IS: 15139-2002”, wherever they occur, the figures, letters and words “IS: 15140-2018”, and “IS: 15139-2002 (reaffirmed 2018)" shall be substituted.

3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125, in sub-rule (1-A), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that, for motor vehicles of category M1 manufactured on and after 01st October 2022, the specifications of Safety Belt Assemblies shall conform to IS:15140:2018, as amended from time-to-time.

Provided also that all front facing seats in vehicles of M1 category manufactured on and after 01st October 2022 be provided with three point belt.

Provided further that the installation of Safety Belts, Restraint Systems and Safety belt reminder on vehicles of M1 category manufactured on and after 1st October 2022 shall conform to IS16694:2018 as amended from time-to-time."

4. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125, in sub rules (9) and (10) for the figures, letters and words “AIS-145-2017”, the figures, letters and words “AIS-145-2018” shall be substituted.

5. After 6 Months from the date of publication of final notification, in Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 125 H, in sub-rule (2) and in sub-rule (3), for the words and figures "AIS-140:2016, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of India Standards Act, 1986 (63 of 1986)" the words and figures " IS:16833-2018,as amended from time to time" shall be substituted.

[F. No. RT- 11036/15/2022-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E) , dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.11 22:30:58 +05'30'